रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-15112022-240274 CG-DL-E-15112022-240274

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5045] No. 5045] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 14, 2022/कार्तिक 23, 1944 NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 14, 2022/KARTIKA 23, 1944

## पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2022

का.आ. 5264(अ).— केंद्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि मुजफ्फरपुर-मोतिहारी पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत एलपीजी के परिवहन हेतु अंचल : कांटी और मोतीपुर, जिला : मुजफ्फरपुर, अंचल : मेहसी, जिला : पूर्वी चम्पारण, राज्य बिहार में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए |

और केंद्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसके भीतर उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अतः अब केंद्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है |

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको, भारत के राजपत्र(असाधारण) में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के अंदर, भूमि के भीतर पाइपलाइन बिछाए जाने हेतु उपयोग के अधिकार के अर्जन के लिए, श्री अरुण कुमार झा, सक्षम प्राधिकारी, इंडियन

7529 GI/2022 (1)

ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पाइपलाइन्स प्रभाग, ई.आर.पी.एल. निर्माण कार्यालय, हीरा निकेतन नगर, बेली रोड, पटना -801503 (बिहार) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा |

संलग्न : अनुसूची

अनुसूची

अनुसूच। राज्य: बिहार							
जिला	अंचल	मौज़ा/ग्राम	सर्वे / ब्लॉक / सं. (प्लॉट सं.)	क्षेत्रफल			
				हेक्टेयर	आरे	वर्गमीटर	
1	2	3	4	5	6	7	
पूर्वी चम्पारण मेहसी	मेहसी	मेहसी कोठिया हरिरामपुर थाना नं. – 186 मेन मेहसी थाना नं 140	1826	00	01	37	
			1828	00	00	51	
			323	00	00	71	
मुजफ्फरपुर	कांटी	भेरिआही नारायण थाना नं. – 69	790	00	00	81	
		छपरा मनोरथ थाना नं. – 71	891	00	08	16	
			37	00	04	99	
		शेरपुर थाना नं. – 378	740	00	03	16	
			नारायणपुर थाना नं. – 118	25	00	00	40
		पट्टी साई टोला राम राय थाना नं. – 85	979	00	02	47	
		पट्टी मीर साहेब थाना नं. – 95	357	00	00	28	
			358	00	00	38	
			354	00	00	54	
			348	00	03	34	
		हिचरा थाना नं. – 380	612	00	02	15	
		बिशुनपुर महानंद थाना नं. – 90	308	00	02	81	

जिला	अंचल	मौज़ा/ग्राम	सर्वे / ब्लॉक/ सं.(प्लॉट सं.)	क्षेत्रफल		
				हेक्टेयर	आरे	वर्गमीटर
1	2	3	4	5	6	7
मुजफ्फरपुर	मोतीपुर	बरिआरपुर उर्फ बाजिदपुर	19804	00	01	71
		थाना नं. – 204	19791	00	01	89
			18975	00	06	99
			17676	00	01	16
			17674	00	01	42
			4420	00	02	86
			4410	00	00	23
			4374	00	00	78
		रसुलपुर थाना नं. – 217	679	00	01	62
			697	00	1	73
	400000	677	00	00	81	
		बिरजी थाना नं. – 203	2087	00	01	45
			2568	00	00	13
		2569	00	01	31	
			2549	00	02	16
			2553	00	07	25
			2570	00	01	26
			2662	00	01	08

[फा. सं. आर-11025(11)/3/ 2020-ओआर-I/E-35691] पी. सोमा कुमार, अवर सचिव

# MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2022

**S.O. 5264(E).**— Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that a pipeline should be laid by the Indian Oil Corporation Limited in Anchal: Kanti and Motipur, District: Muzaffarpur and in Anchal: Mehsi, District: East Champaran in the State of Bihar for "Muzzafarpur - Motihari Pipeline Project" for the transportation of LPG;

And, whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of the notification issued sub-section (1) of section 3 of the said Act, as published in the Extra ordinary Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land, to Shri Arun Kumar Jha, Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Pipelines Division ERPL Construction Office, Hira Niketan, Kaliket Nagar, Bailey Road, Patna-801503 (Bihar.)

#### **SCHEDULE**

					S	tate : Bihar	
District	Anchal	Mouza/Village	Survey/Block No.	Area			
				Hectare	Are	Sq.mtr.	
1	2	3	4	5	6	7	
East Champaran	Mehsi	Kothiya harirampur Thana no 186	1826	00	01	37	
			1828	00	00	51	
		Main Mehsi Thana no140	323	00	00	71	
Muzaffarpur	kanti	Bheriahi Narayan Thana no 69	790	00	00	81	
		Chhapra Manorath Thana no 71	891	00	08	16	
			37	00	04	99	
	 	Sherpur Thana no 378	740	00	03	16	
		Narayanpur Thana no 118	25	00	00	40	
		Patti Sai Tola Ram Ray Thana no 85	979	00	02	47	
		Patti Mir Saheb Thana no 95	357	00	00	28	
			Thana no 93	358	00	00	38
			354	00	00	54	
			348	00	03	34	
		Hichra Thana no 380	612	00	02	15	
		Bishunpur Mahanand Thana no 90	308	00	02	81	
	Motipur	Bariarpur Urf Bazidpur	19804	00	01	71	
			Thana no 204	19791	00	01	89
			18975	00	06	99	
			17676	00	01	16	
			17674	00	01	42	
			4420	00	02	86	
			4410	00	00	23	

		4374	00	00	78
	Rasulpur Thana no 217	679	00	01	62
		697	00	01	73
		677	00	00	81
	Birji Thana no 203	2087	00	01	45
		2568	00	00	13
		2569	00	01	31
		2549	00	02	16
		2553	00	07	25
		2570	00	01	26
		2662	00	01	8

[F. No. R- 11025(11)/3/2020-OR-I/E-35691] P. SOMA KUMAR, Under Secy.